न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 52 ए /2022

प्रार्थी :– **SINGHAM ASSOCIATES LLP,**
Flat No, LG-1, plot No LG-5, Shree Shayam Residency,
kirti Sagar,New sanganer Road,
Mansarovar, jaipur Rajasthan

बनाम

विप्रार्थी :– राज सरकार जरिये भूमिधारी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955</u>

उपस्थित :– 1. श्री करणसिंह वकील प्रार्थी
2. सरकारी पैरोकर विप्रार्थी

<u>आदेश</u> दिनांक :– 29.7.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1052/57 रकबा 07–00 बीघा ग्राम सिंधियों की ढाणी तहसील पचपदरा में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1051/57 रकबा 53–14 बीघा का है । प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत से राजकीय कटाण मार्ग पर आवागमन हेतु विप्रार्थी के उक्त खातेदारी खेत की सीमा पर अवस्थित प्रचलित मार्ग का प्रयोग करना एकमात्र विकल्प है, जो आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी से बंरग लाल चिन्हित किया गया है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत से कटाण रास्ते तक आवागमन हेतु आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दिये गये बिन्दु संख्या ए से बी के स्थान को रास्तें के रूप में राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा नक्शा में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

आवेदन दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गयी। विप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित रहे । वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2075–78 व उक्त भूमि का लट्ठा ट्रेस प्रस्तुत किया । आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी ।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत से राजकीय कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थी के खातेदारी [illegible] से [illegible] रूप से प्रचलित रास्ता इकलौता विकल्प है, जिसकी प्रार्थी को अत्यधिक आ[illegible] है।

अतः प्रार्थी आवेदन के संलग्न दिये नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी को गैरमुमकिन रास्तें के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है । प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि के बदले विप्रार्थी को डी.एल.सी दर की दुगनी राशि अदा करने हेतु सहमत है ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:30:25 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थी ग्राम सिंधियों की ढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1052/57 रकबा 7–00 बीघा का अभिलिखित खातेदार है, जिस पर उसका कब्जा काश्त है। राजकीय कटाण मार्ग एवं प्रार्थी के खातेदारी खेत के मध्य विप्रार्थी का खातेदारी खेत अवस्थित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत से कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थी के खसरा संख्या 1051/57 खातेदारी खेत की उतरी सीमा पर खसरा संख्या 56 अवस्थित रास्ते तक गुजरना पडता है । उक्त रास्ता विप्रार्थी द्वारा अवरूद्व किये जाने से प्रार्थी के सामने आवागमन की विकट समस्या खडी हो जाती है । तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है। जिसकी प्रार्थी को अपरिहार्य आवश्यकता है । विप्रार्थी के खसरा संख्या 1051/57 रकबा 13–5822 हैक्टेयर किस्म गै. मु. खान वर्तमान जमाबंदी अनुसार बिला कब्जा मुमकिन राजस्थान सरकार के नाम दर्ज भूमि है , न्यूनतम दूरी का 30 फीट चौडा रास्ता दिये जाने पर कुल 190 गठा लम्बा रास्ता देय होता है जिसका कुल रकबा 0.4369 हैक्टेयर (4369 वर्ग मीटर) होता है । ग्राम सिंधियों की ढाणी के वर्तमान डी.एल.सी रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की रूपये 175014 प्रति बीघा की दर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि हेतु कुल राशि रूपये 604628 अक्षरे रूपये छः लाख चार हजार छः सौ अठाईसी बनती है, जो प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को अदा की जानी है ।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर खसरा संख्या 1052/57 रकबा 7–00 बीघा ग्राम सिंधियों की ढाणी से राजकीय कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 1051/57 रकबा 13–5822 हैक्टेयर में से, तहसीलदार पचपदरा द्वारा जरिये पत्र कमाक–राजस्व/2020/570 दिनांक 26.7.2022 के संलग्न मौका रिपार्ट में बरंग लाल से दर्शित कुल रकबा 0.4369 हैक्टयर (4369 वर्ग मीटर) भूमि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि रूपये 604628/– अदा करने, और उनके द्वारा नहीं लिये जाने पर राजकोष में जमा करवाये जाने पर, गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है । तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सिधियों की ढाणी के खसरा संख्या 1051/57 रकबा 13.5822 हैक्टेयर भूमि मे से रकबा 0.4369 हैक्टयर भूमि राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा नक्शा में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में अमल दरामद एवं [illegible] करने हेतु आदेशित किया जाता है।

फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.07.2022 एवं प्रस्तावित [illegible] गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय का भाग समझ कर साथ रखा जाए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:50:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा